क्र /192 261

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	778/2024 अमर सिंह बनाम फूलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । पत्रावली अनिवार्य रूप से बहस किये जाने हेतु दिनांक 19/11/2025 को पेश हो ।	
19/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी । अधिवक्ता रेस्पो. की लिखित बहस सलग्न पत्रावली है । अत: पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20/11/2025 को पेश हो ।	
20/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22/08/2023 पारित करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14/08/2024 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाते हुए रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी । जिस पर अपीलार्थी की मौखिक बहस सुनी गयी एवं रेस्पो. की और से लिखित बहस प्रस्तुत हुई । अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस एवं रेस्पो. की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह कही स्पष्ट नही होता है कि प्रकरण में तैयार की गयी मौका रिपोर्ट हेतु अपीलार्थी को कोई सूचना/नोटिस दिया गया हो, ऐसेमें उक्त मौका रिपोर्ट को अपीलार्थी की जानकारी अथवा उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना स्पष्ट नही होता है । इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे प्रार्थी/रेस्पो.की आराजी खसरा नम्बर 87 तक आने-जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ते होने का तथ्य अंकित कर निकटतम रास्ते के सन्दर्भ में स्वयं ही निष्कर्ष अंकित कर उक्त रिपोर्ट तैयार की गयी है, जबकि मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त सभी वैकल्पिक रास्तो को उल्लेखित कर रिपोर्ट प्रेषित की जानी आवश्यक होती है ताकि दोनों पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त रास्ता कायम किया जा सके किन्तु तहसील स्तर से प्रेषित की गयी त्रुटीपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना जाहिर होता है । इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

9314440109

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अमर सिंह बनाम फूलचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करते वक्त राजस्थान अभिधृत संशोधन अधिनियम 2023 के बिन्दु सख्या 3 में निहित में प्रावधानों का अनुसरण किया जाना स्पष्ट नही होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14/08/2024 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों की उपस्थिति में पुन: रिपोर्ट तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुए विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	